

16/10/25 पत्रावली पेश हुई, वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकील उभयपक्ष की लख सुनी गयी। प्राथमिक पत्र 500/- रुपये शुल्क पर स्वीकार किया जाता है। वकील प्राथमिक वकील अप्रार्थी को शुल्क भुगतान करें। प्रकरण की मूल पत्रावली जिला अभिलेखागार से प्राप्त करेंगे पत्र जारी हो-प्रस्तुत प्राथमिक पत्र इस निर्देश के साथ केंसल किया जाता है कि प्रकरण की मूल पत्रावली प्राप्त होने पर ही रजिस्ट्र किया जाएगा। तत्समय वकील उभयपक्ष उपस्थित रहे। पत्रावली केंसल शुभा

सहायक कलक्टर एवं
जुजुअड अधिकारी, भूपालसागर



तारीख
सम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्ब
अह
हुकम
में

लेकर नंबर से काम ले।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर